विविध बैंक प्रकरण संख्या 98/2020(GCMS : 2020/00259) एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड, सी–25 भगवनत दास रोड़, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी–स्कीम, जयपुर–302001 बनाम 1. अरूण पारीक पुत्र हेम चन्द्र पारीक पता 1. 3/48, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर राजस्थान 2. प्लॉट नं. 1803, होमलैण्ड कॉलोनी – II, श्रीगंगानगर राजस्थान 3. रेजिडेशीयल बंगला, लुक्वाह टी स्टेट, शिवसागर, आसाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.08.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता सुश्री ज्योति सैनी उपस्थित हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 19.11.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी अरूण पारिक को ऋण सुविधा के रूप में राशि 1,32,514/–रूपये (अखरे रूपये एक लाख बत्तीस हजार पांच सौ चौदह मात्र) एवं राशि 12,26,000/– रूपये (अखरे रूपये बारह लाख छब्बीस हजार मात्र) का ऋण दिनांक 15.05.2018 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अरूण पारीक ने अपनी सम्पत्ति मकान नं. पी 1803 (क्षेत्रफल 12′.6″ गुणा 50′ फिट) होमलैण्ड सिटी सैकिण्ड, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है, जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 02.04.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 31.05.2020 को 14,57,482/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 04.06.2020 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.06.2020 को भिजवाये गये है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी अरूण पारिक द्वारा प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अपनी सम्पति मकान नं. पी 1803 (क्षेत्रफल 12'.6'' गुणा 50' फिट) होमलैण्ड सिटी सैकिण्ड, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी** अरूण पारिक को राशि 1,32,514/-रूपये (अखरे रूपये एक लाख बतीस हजार पांच सौ चौदह मात्र) एवं राशि 12,26,000/- रूपये (अखरे रूपये बारह लाख छब्बीस हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 15.05.2018 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अरूण पारिक की सम्पति मकान नं. पी 1803 (क्षेत्रफल 12'.6'' गुणा 50' फिट) होमलैण्ड सिटी सैकिण्ड, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 30.04.2019 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 04.06.2020 को जारी किये गये तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.06.2020 को भिजवाये गये है, जिसकी तामिल के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के आनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:27 IST
Reason: SelfAttested

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी अरूण पारिक द्वारा अपनी सम्पत्ति मकान नं. पी 1803 (क्षेत्रफल 12'.6'' गुणा 50' फिट) होमलैण्ड सिटी सैकिण्ड, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 04.06.2020 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 04.06.2020 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 13.06.2020 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी अरूण पारिक द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:27 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और **अरूण पारिक की सम्पत्ति मकान नं. पी 1803 (क्षेत्रफल 12'.6" गुणा 50' फीट) होमलैण्ड सिटी सैकिण्ड, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:27 IST
Reason: SelfAttested

विविध बैंक प्रकरण संख्या 60 / 2022(GCMS : 2022/88) ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय – 4–ई–6– जवाहरनगर, प्रथम तल, मीरा चौक, नजदीक गौड़ हॉस्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता पोर्टफोलियो कलेक्शन मैनेजर श्री मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद बनाम 1. मदनलाल पुत्र श्री रामेश्वर निवासी 32–पी.एस.ए, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर 2. सुमन पत्नी श्री मदनलाल निवासी 32–पी.एस.ए, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर 3. प्रदीप कुमार भुंवाल पुत्र श्री हरबंस लाल निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

17.08.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार मेहन्दीरता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक ने अप्रार्थीगण मदनलाल, सुमन एवं प्रदीप कुमार भुंवाल द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मदनलाल की सम्पत्ति प्लॉट नं. 126 (क्षेत्रफल 8584 सक्वेयर फीट) चक सावंतसर, 32 पीएस"6ए" रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2022 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:27 IST
Reason: SelfAttested

मैने, उक्त तर्कों पर मनन कि[illegible] पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 04.04.2022 को [illegible] ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रति[illegible]करण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मदनलाल, सुमन एवं प्रदीप

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कुमार भुंवाल के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मदन लाल की **सम्पत्ति प्लॉट नं. 126 (क्षेत्रफल 8584 सक्वेयर फीट) चक सावंतसर, 32 पीएस''ए'' रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया हुआ है, जो शामिल पत्रावली हैं। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाखि़ल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाखि़ल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.25 17:10:27 IST
Reason: SelfAttested